



AMNESTY SCHEME 2025

Employees' State Insurance Corporation

Applicable for cases filed up to
31st March 2025

1st October 2025 – 30th September 2026

Why This Scheme?

- A one-time opportunity to **settle long-pending cases** under the ESI Act, 1948.
- Minimise litigation and decrease **legal expenditure**.
- Promote **trust and goodwill** among ESIC, employers, and insured persons.

Who Can Benefit?

- **Employers:** Pending disputes under Sec. 75, 82, 85, 85A of the ESI Act and Article 226 of the constitution of India.
- **Employees/Insured Persons:** Cases under Sec. 84 (excess benefit refund).
- **Units:** Non-submission of returns, late declarations, or minimum dues in old cases.

How to Apply

- **For more help Visit:** Nearest Regional / Sub-Regional Office (RO/SRO).
- **Submit request** with required records & undertaking.
- **Call:** Toll-Free Helpline: **1800-11-2526**

What Does It Cover?

- **Dispute of Coverage:** Pay contribution + interest; no damages.
- Minimum 30% in the absence of relevant records.
- **Disputed Levy of Damages:** Pay just 10% of the damages if contribution and interest already paid.
- **Withdrawal of Prosecution:** Sections 84, 85 & 85A cases, subject to compliance.
- **Old Cases:** > 15 years, dues < ₹25,000, eligible for closure.
- **Late Returns/Declarations:** will be accepted only after compliance.

Benefits of Joining

- Relief from **prolonged litigation**.
- **Exemption on significant damages** in most cases.
- **Transparent & fair** settlement process.
- Cases resolved within **6 months**.
- Peace of mind for employers & workers.

**Don't miss this chance Resolve disputes today,
secure tomorrow!**

FOLLOW US ON



(SCAN QR CODE)



एमनेस्टी योजना 2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

31 मार्च 2025
तक दर्ज मामलों पर लागू

01 अक्टूबर 2025 – 30 सितम्बर 2026

क्यों लाई गई यह योजना?

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने का एकमात्र अवसर।
- मुकदमेबाजी घटेगी और कानूनी खर्चों में बचत होगी।
- क.रा.बी. निगम, नियोक्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा।

किसे मिलेगा लाभ?

- नियोक्ताओं (Employers) को: क.रा.बी. अधिनियम की धाराएं 75, 82, 85, 85ए एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वाले विवादों में।
- कर्मचारियों / बीमाकृत व्यक्तियों (Employees / Insured Persons): धारा 84 के अधीन मामलों में (अधिक भुगतान वापसी)।
- इकाइयों को: रिटर्न जमा न करने, देरी से घोषणा पत्र जमा करने या पुराने मामलों में मामूली बकायों में।

आवेदन कैसे करें?

- अधिक सहायता/जानकारी के लिए अपने नजदीकी क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय (RO/SRO) में संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ एवं भविष्य में अनुपालन का वचन पत्र जमा करें।
- कॉल करें: टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526

योजना में क्या शामिल है?

- व्याप्ति के विवाद (Dispute of Coverage): अंशदान + ब्याज का भुगतान करें; कोई हर्जाना नहीं।
- अंशदान विवाद (Dispute of Contribution): सुसंगत दस्तावेज़ न होने पर न्यूनतम 30% का भुगतान।
- हर्जानों का विवाद (Disputed Levy of Damages): यदि अंशदान और ब्याज पहले ही जमा, तो केवल 10% हर्जाने का भुगतान।
- अभियोजन की वापसी (Withdrawal of Prosecution): धारा 84, 85 एवं 85ए के मामले, अनुपालनाधीन।
- पुराने मामले (Old Cases): 15 वर्ष से अधिक पुराने एवं ₹25,000 से कम बकाया वाले मामले बंद किए जा सकते हैं।
- विलंबित रिटर्न/घोषणा (Late Returns/ Declarations): अनुपालन पश्चात् मामले को बंद कर सकते हैं।

योजना से जुड़ने के लाभ

- लंबित मुकदमों से राहत।
- अधिकांश मामलों में भारी हर्जानों से छूट।
- पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण निपटान प्रक्रिया।
- मामले 6 महीने के भीतर निपटाए जाएंगे।
- नियोक्ताओं एवं कामगारों को मानसिक शांति।

(क्यूआर कोड स्कैन करें)



हमें फॉलो करें

इस अवसर को छूटने न दें, आज ही विवादों का समाधान करें,
कल को सुरक्षित बनाएं!